न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 125/2016

1 श्रीमती सोनी देवी पत्नी श्री मुरलीधर आयु 72 साल जाति जाट निवासीनी ढाणी सामली तन ग्राम प्रीतमपुरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.
2 कैलाशी पत्नी श्री नागरमल आयु 45 साल
3 मूली पत्नी माडूराम उम्र 43 साल
4 ऑची पत्नी श्री शैतानराम आयु 41 साल
5 मदन पुत्र श्री कजोड़ आयु 30 साल
समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ढाणी चैचीयान तन ग्राम प्रीतमपुरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 घीसा उम्र 66 साल पुत्र श्री प्रभु उर्फ प्रभात
2 श्रीराम आयु 61 साल पुत्र श्री प्रभु उर्फ प्रभात
3 गुल्ला उम्र 63 साल पुत्र श्री प्रभु उर्फ प्रभात
समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ढाणी चैचीयान तन ग्राम प्रीतमपुरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।
4 तहसीलदार भूमिधारी नीमकाथाना जिला सीकर राज.।
5 जिलाधीश महोदय, सीकर जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय डिक्री दिनांकित 29.01.2016
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर
बउनवानी मु.नं. 05/2013 घीसा आदि बनाम तहसीलदार
नीमकाथाना आदि वाद बाबत घोषणा, तरमीम नक्शा एवं
स्थायी निषेधाज्ञा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री पुरूषोत्तम शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुखदेव महला, अधिवक्ता अपीलान्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 25.2.26

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 05/2013 में पारित निर्णय दिनांक 29.01.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने एक वाद घोषणा, तरमीम नक्शा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 3154 के बट्टा नम्बर 3154/1/2, 3154/1/3 वाके ग्राम प्रीतमपुरी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलान्ट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 3154 के अपीलान्टस सह—काश्तकार एवं काबिज व्यक्ति चले आये है एवं आज भी अपीलान्टस सह—काश्तकार एवं काबिज काश्त है। जिनको उक्त प्रकरण में वादीगण/रेस्पोडेन्टस ने पक्षकार तक नहीं बनाया। जबकि रिकार्ड के मुताबिक अपीलान्टस विवादित भूमि के संयुक्त कब्जाधारी—काश्तकार रहे है। जिनका राजस्व रिकार्ड उक्त भूमि के खसरा गिरदावरी से प्रमाणित है। उक्त समस्त स्थिति को विचारण न्यायालय नजर अंदाज किया है। अपीलान्टस जो कि विवादित भूमि के लगातार काबिज काश्तकार एवं हक, अधिकारी रहे है। जिनके हित में उक्त भूमि में अपीलान्टस के समान रहे है। जिनको सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करके एवं उनको सुना जाकर फिर कानूनन निर्णय पारित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

किया जाना आवश्यक होने से पारित एक–तरफा आदेश व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट संख्या 1 जो कि उक्त खसरा नम्बर 3154 जिनके नये खसरा खसरा नम्बर 4619 रकबा 2.50 है. रहे है। जिसमें अपीलान्टस व उसके पति का 0.40 है.कुल 0.80 है. एवं हक –हिस्सा एवं कब्जा मौके पर बदस्तुर कायम चला आया है। जिसके संदर्भ में सहमति व इच्छा गुल्लाराम, श्रीराम पुत्र प्रभात द्वारा वास्ते आपसी राजीनामा 100/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर भी लिखित में रेस्पोडेन्टस ने दिनांक 25.03.2014 को दिया जाकर अपीलान्ट संख्या 1 के पक्ष में लिखावट लिखकर अपनी सहमति दी थी। जिसके बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने उक्त प्रकरण में अपीलान्टस को आवश्यक पक्षकार होते हुए भी उसको बिना पक्षकार बनाये एवं बिना उसकी सहमति से मात्र उसका हक, हिस्सा हड़पने की मंशा से एवं गुप्त तरीके से डिक्री बनाकर राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज करवाकर अपीलान्टस को उसके कब्जे, काश्त से बेदखल करने की मंशा से उक्त दावा प्रस्तुत करके विचारण न्यायालय को मुगालते में रखकर निर्णय व डिक्री पारित करवाया है। इसलिए भी पारित निर्णय सरसरी तौर पर ही अपास्त किये जाने योग्य है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 व धारा 96 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है एवं अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 3154 के अपीलान्टस सह–काश्तकार एवं काबिज व्यक्ति चले आये है एवं आज भी अपीलान्टस सह–काश्तकार एवं काबिज काश्त है। जिनको उक्त प्रकरण में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

वादीगण/रेस्पोडेन्टस ने पक्षकार तक नहीं बनाया। जबकि रिकार्ड के मुताबिक अपीलान्टस विवादित भूमि के संयुक्त कब्जाधारी–काश्तकार रहे है।

अपीलान्टस जो कि विवादित भूमि के लगातार काबिज काश्तकार एवं हक, अधिकारी रहे है। जिनके हित में उक्त भूमि में अपीलान्टस के समान रहे है। जिनको सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करके एवं उनको सुना जाकर फिर कानूनन निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होने से पारित एक–तरफा आदेश व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने उक्त प्रकरण में अपीलान्टस को आवश्यक पक्षकार होते हुए भी उसको बिना पक्षकार बनाये एवं बिना उसकी सहमति से विचाराधीन डिक्री प्राप्त कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित कर जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.03.2026 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 25.2.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर